F-07-08 F-07-11

## सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF DEFENCE

मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037

MARATHAHALLI COLONY P.O.

**BENGALURU - 560 037** 

वर्ग अनुमोदन सं.: 266 का संशोधन सहित नवीकरण Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 266

विषय / Sub : मिङ्गेट लैंप होल्डर टाइप आई ई 39230 / Midget Lamp Holder, Type IE - 39230

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स इंटेग्रल सिस्टम्स एंड कम्पोनेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, डी-388/1, 1 क्रास, 1 स्टेज, पीन्या इंडस्ट्रियल इस्टेट, बेंगलूरु – 560 058 द्वारा अभिकल्पित, विकसित एवं उत्पादित " मिड्गेट लैंप होल्डर टाइप सं. 39230 " को संदर्भ सं. एरो(आर डी-125)/140/18, दिनांक 09 नवंबर 1978, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 266 जारी किया गया था। यह अनुमोदन तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलेक/5070/टीए-266/1ए-10आर, दिनांक 19 दिसंबर 2013 द्वारा संशोधन एवं नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2018 तक थी।

This is to state that the Midget Lamp Holder, Type IE - 39230, designed, developed and manufactured by M/s Integral Systems & Components Private Limited, D-388/1, Ist Cross, Ist Stage, Peenya Industrial Estate, Bengaluru - 560 058, was issued with Type Approval Number: 266 vide certificate Ref. No: AERO(RD-125)/140/18, dated: 09th November 1978. This Approval was subsequently amended & renewed vide Reference Number: CEMILAC/5070/TA-266/1A-10R, dated: 19th December 2013 with validity up to 31st December 2018.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 फरवरी 2019 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपृष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 जनवरी 2024 तक वैध है बशर्ते इसे स्थिगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अविध समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (हेलिकॉप्टर्स), द्वारा मेसर्स एचएएल, हेलिकॉप्टर प्रभाग, बेंगलूरु – 560 017, से अनुरोध करना होगा।

पृष्ठ/Page 01 of 02

पृष्ठ/Page 02 of 02 टी ए सं./TA No. 266

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f.  $01^{st}$  February 2019 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to  $31^{st}$  January 2024, unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Helicopter), C/o M/s. HAL, Helicopter Division, Bengaluru – 560 017 three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. ऐरो (आरडी-125)/140/18, दिनांक 09 नवंबर 1978 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: AERO(RD-125)/140/18, dated:  $09^{th}$  November 1978 is amended as stated herewith.

"[अगर इस टाइप रिकोर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु - 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]"

"[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru - 560 037 is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]".

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remains unaltered, and fully applicable.

सं ./ No.: सेमिलैक/ CEMILAC/5070 /टी.ए/TA-266/11R

दिनांक / Date : **2** February 2019 फैक्स सं. / Fax No.: 080-25230856

IR.

पी . जयपाल/ P. JAYAPAL उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)/ Chief Executive (Airworthiness)